

उत्तराखण्ड परिवहन निगम Intercity एवं मध्यम दूरी की बस संचालन योजना।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा राज्य के विभिन्न छोटी दूरी के मार्गों एवं पड़ोसी राज्यों में नजदीक के महत्वपूर्ण शहरों हेतु मध्यम दूरी के मार्गों पर निजी बस स्वामियों से बस निगम के नाम हस्तान्तरित करने व बस मेंटीनेंस / चालक उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबन्ध पर बस संचालन की योजना निम्नवत प्रस्तावित हैं—

1. निगम द्वारा अनुबंध के आधार पर बस संचालित किये जाने हेतु विभिन्न लोकल/स्थानीय एवं मध्यम दूरी के मार्गों का विवरण **संलग्नक-‘1’** में दर्शाया गया है।

1- बस का प्रकार—

किसी भी वाहन उत्पादन कर्ता की **BSIV** बस स्वीकार होगी। बसों द्वारा भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करना होगा। बस के मानकों **(Technical Specification)** का विवरण **संलग्नक-‘2’** एवं **2.1** में दर्शाया गया है।

2- **बस की आयु—** अनुबंध के समय बस न्यू ब्राण्ड होनी चाहिए।

3- एक बस स्वामी को एक ही मार्ग पर संचालन करने हेतु वरीयता दी जायेगी।

4- बसों हेतु डीजल से अतिरिक्त देय दरों एवं प्रशासनिक शुल्क का विवरण निम्नवत होगा:—

	बस की श्रेणी	
	30-32 सीट	52-54 सीट
मैदानी मार्ग दरें	रु. 8.65 पैसे / कि०मी०	रु. 9.30पैसे/कि०मी०

मैदानी मार्ग का डीजल औसत	6.50 कि०मी०/लीटर	5.00कि०मी०/लीटर
निगम का प्रशासनिक शुल्क	रु. 4.00पैसे प्रति कि०मी०	रु. 4.00 प्रति कि०मी०

नोट:- यदि कोई बस किसी माह में 12000कि०मी० से अधिक कि०मी० अर्जित करती है तो उस माह में अतिरिक्त अर्जित कि०मी० हेतु बस की दर 50प्रतिशत देय होगी।

- 5- आवेदनकर्ता को प्रति बस रु. 50,000/- की प्रतिभूति आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
- 6- अनुबंध की अवधि 6वर्ष होगी।
- 7- बस आवंटन होने के पश्चात् बस स्वामी को 75 दिन के अन्दर अपनी बस निगम को उपलब्ध करानी होगी जिसके पश्चात् ठोस कारण बताए जाने पर 1 माह तक का अतिरिक्त समय 500 रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब पेनाल्टी सहित देय होगा। अधिकतम 30दिन हेतु होगी। इसके पश्चात् प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
- 8- बस स्वामी को भुगतान बिल प्रस्तुत करने के दिनांक: से 30 दिन में किया जाएगा।
- 9- निगम के समस्त व्यय निकालने के पश्चात् बस से हुए शुद्ध लाभ में से बस स्वामी को 25% प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। लाभ की गणना में डीजल बचत भी सम्मिलित की जायेगी। यदि समस्त व्यय निकालने के पश्चात हानि होती है तो तदनुसार देयको में कटौती की जाएगी। यह गणना प्रत्येक 6 माह पर की जाएगी।
- 10- बस पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार निगम का होगा।
- 11- बस स्वामी द्वारा बस निगम की समय सारणी के अनुसार बस स्टेशन पर प्रतिदिन उपलब्ध करानी होगी। समय पर उपलब्ध न कराए जाने पर अनुबंध पत्र के अनुसार पेनाल्टी देय होगी।

- 12- बस स्वामी द्वारा बस का स्वामित्व निगम को स्थानान्तरित करना होगा जिसके लिये बस अनुबंध **संलग्न-‘3’** के अनुसार करना होगा।
- 13- बस स्वामी द्वारा बस का संचालन एवं मेन्टीनेंस किया जाएगा जिसके लिये अनुबंध **संलग्न-‘4’** में करना होगा।
- 14- बस का संचालन प्रतिदिन लगभग 350 कि०मी० तक मार्ग की दूरी के अनुसार किया जायेगा।
- 15- मेन्टीनेंस अथवा दुर्घटना आदि की स्थिति में बस का अधिकतम अवकाश अनुबंध पत्र में दी गयी शर्तों के अनुसार देय होगा।
- 16- बस स्वामी द्वारा बस का **Comprehensive** बीमा कराया जाएगा तथा दुर्घटना आदि होने पर किसी भी क्लेम का पूर्ण उत्तरदायित्व बस स्वामी का होगा।
- 17- बस पर देय समस्त टैक्स जैसे- रोड़ टैक्स, फिटनेस फीस, बीमा आदि की देयता बस स्वामी की होगी।
- 18- बस संचालन हेतु यात्री कर, परमिट फीस, टोल आदि का भुगतान निगम द्वारा देय होगा।
- 19- जी०एस०टी०, सेवा कर, वैट अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्य कर निजी बस स्वामी द्वारा देय होगा। बस स्वामी के बिलो से नियमानुसार आय कर की कटौती की जाएगी।
- 20- प्रत्येक माह में बस द्वारा संचालित किये गये कि०मी० के आधार पर बस स्वामी द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाएगा जिसका परीक्षण करने पर, भुगतान किया जाएगा।
- 21- अनुबंध की शर्तों का पालन न किये जाने पर निगम द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 22- किसी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
- 23- आवेदन निर्धारित प्रारूप **संलग्न- ‘5’** के अनुसार करना होगा।
- 24- बस की कलर स्कीम, बाडी एवं सीटें निगम द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार होगी।
- 25- एक बार आवंटित मार्ग सामान्य दशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- 26- निगम की आवश्यकता के अनुसार मार्गों एवं रिक्तियों में कमी/बढ़ोत्तरी का अधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम में निहित है।

संलग्नक-1

क्रमांक	मार्ग का नाम	बसों की रिक्तियाँ
1	देहरादून-ऋषिकेश-देहरादून	13
2	देहरादून-हरिद्वार-देहरादून	05
3	हरिद्वार-लक्सर-हरिद्वार	04
4	हल्द्वानी-रुद्रपुर-काशीपुर-हल्द्वानी	05
5	देहरादून-सहारनपुर-देहरादून	03
6	ऋषिकेश-हरिद्वार-रुडकी-गुरुकुल नारसन	06
7	हरिद्वार-नजीबाबाद-कोटद्वार	08
8	रामनगर-हल्द्वानी-रामनगर	06
9	देहरादून-हरिद्वार-लक्सर	02
10	हरिद्वार-सहारनपुर-हरिद्वार	06

क्रमांक	मार्ग का नाम	बसों की रिक्तियाँ
11	काशीपुर-टनकपुर-काशीपुर	02
12	रुद्रपुर-टनकपुर-रुद्रपुर	04
13	टनकपुर-बरेली-टनकपुर	10
14	हल्द्वानी-बरेली-हल्द्वानी	10
15	हल्द्वानी-टनकपुर वाया चोरगलियाँ	05
16	कोटद्वार-मेरठ-कोटद्वार	05
17	पौंटा-हरिद्वार-पौंटा	06
18	पौंटा-ऋषिकेश-पौंटा	06
	कुल योग-	106

निगम की आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों के घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित है। उपरोक्त के अतिरिक्त जिन मार्गों पर निगम की बसें संचालित नहीं हैं उन मार्गों पर भी बस संचालन हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।


संलग्नक-2

Technical Specification For Bus (30 – 32 Seater)

S N	Item	Description
1	Bus body Type	Midi bus Type I or II NDX as per AIS 052
2	Wheel Base	Suitable for 30-32 seats
3	Rear Overhang	Not exceeding 60% of the wheel base
4	Fuel	DIESEL
5	Emission norms	BS IV
6	Bus body Design	Aesthetically designed bus body
7	Body Structure	Body structure will be of GI tubular type. Reinforcement at suitable locations. As per AIS 052
8	Body Insulation	As per AIS 052
9	Passenger door	One Wide (1000-1200mm) Pneumatically operated between the wheels.
10	Passenger seats	2X2 ,32 High Back Plastic Moulded seats with cushions. The seat sets provided should conform to AIS 023 specification conforming to NDX Type-I or II, AIS 052 Bus Code.
11	Emergency Door	As Per AIS 052
12		Rear wind shield will act as emergency exit. Glass breaking hammer to be provided
13	Glass tint	Clear glass
14	Front/ Rear Windshield	Single piece laminated type
15	Wipers	Heavy duty wash and Wiping System
16	Driver's partition	Tubular Half Partition
17	Step	Low floor steps having anti skid design
18	Roof Lamps	White LED lamps in passenger saloon & in driver
19	Step Lamp	LED Step lamp
20	Fog Lamp	To be provided
21	Side marker	To be provided
22	Head Lamp	Clear head lamps
23	Height marker lamp	Two nos at front with white lens and two nos at rear with red lens
24	Fire extinguisher	Minimum 2 no of totaling minimum 10 kg fire extinguisher to be provided.
25	Roof grab rail	Two nos to be provided with 15 nos Hand Straps
26	Window guard rail	2 nos to be provided externally (MS pipe with black powder coated)
27	Floor	With Venyle flooring.
28	Fans	1 no. for driver to be provided.

29	Bell Switch	Bell switch to be provided on passenger door apperture area
30	Colour scheme	Only PU PAINT/ METALLIC PAINT shall be used. Exterior and interior colour schemes shall be given by UTC. UTC logo/ graphics design and the intimation on the seats for reservation for physically handicapped persons, ladies, senior citizens, other statutory information shall be provided as per UTC requirements and also to provide necessary signage as per bus code AIS 052
31	Destination Indicator	2 LED Destination Boards are to be provided as per TYPE-I (LED Amber) specification. Front (900-1800mm) rear(900mm) and inside desination sizes to be as per bus code. Mobitec/Hanover/Cameto with three years gaurantee.
32	Dashboard	Aesthetically designed FRP dashboard
33	Provisions for Differently abled Passengers	Provisions are to be provided for Differently Abled Passengers as per AIS 52 bus code.
34	Camera	Two camera in front and rear 2 MP Minimum with 25days recording.
35	Disable friendly equipment	Bus must be equipped with disable friendly equipments and comply norms as per govt. of India guidelines.
36	GPS/VTS	As per AIS 140 latest. Name of Vendor shall be provided by U.T.C.

Indicative seat layout of proposed bus



संलग्नक-2.1

Technical Specification For Bus (52 –54 Seater)

S .N.	Item	Description
1	Bus body Type	Midi bus Type I or II NDX as per AIS 052
2	Wheel Base	Suitable for 52-54 seats
3	Rear Overhang	Not exceeding 60% of the wheel base
4	Fuel	DIESEL
5	Emission norms	BS IV with Six Cylinder Engine.
6	Bus body Design	Aesthetically designed bus body exactly as per UTC New Buses. (Photo Attached)
7	Body Structure	Body structure will be of GI tubular type. Reinforcement at suitable locations. As per AIS 052
8	Body Insulation	As per AIS 052
9	Passenger door	One between the wheels. As per AIS 052
10	Passenger seats	3X2 , 52-54 Seats High Back Comfortable seats. The seat sets provided should conform to AIS 023 specification conforming to NDX Type-I or II, AIS 052 Bus Code.
11	Emergency Door	As Per AIS 052
12	Glass tint	Clear glass
13	Front/ Rear Windshield	Single piece laminated type
14	Wipers	Heavy duty wash and Wiping System
15	Driver's partition	Tubular Half Partition
16	Step	Low floor steps having anti skid design
17	Roof Lamps	White LED lamps in passenger saloon & in driver
18	Step Lamp	LED Step lamp
19	Fog Lamp	To be provided
20	Side marker	To be provided
21	Head Lamp	Clear head lamps
22	Height marker lamp	Two nos at front with white lens and two nos at rear with red lens
23	Fire extinguisher	Minimum 2 no of totaling minimum 10 kg fire extinguisher to be provided.
24	Roof grab rail	Two nos to be provided with 15 nos Hand Straps
25	Window guard rail	2 nos to be provided externally (MS pipe with black powder coated)
26	Floor	With Venyle flooring.
27	Fans	1 no. for driver to be provided.
28	Bell Switch	Bell switch to be provided on passenger door apperture area
29	Colour scheme	Only PU PAINT/ METALLIC PAINT shall be used. Exterior and interior colour schemes shall be given by UTC. UTC logo/

		graphics design and the intimation on the seats for reservation for physically handicapped persons, ladies, senior citizens, other statutory information shall be provided as per UTC requirements and also to provide necessary signage as per bus code AIS 052
30	Destination Indicator	2 LED Destination Boards are to be provided as per TYPE-I specification. (LED Amber) Front (1800mm) rear(900mm) and inside desination sizes to be as per bus code. Mobitec/Hanover/Cameto with minimum three year guarantee.
31	Dash board	Aesthetically designed FRP dash board
32	Provisions for Differently abled Passengers	Provisions are to be provided for Differently Abled Passengers as per AIS 52 bus code.
33	Camera	Two camera in front and rear 2 MP Minimum with 25days recording.
34	Disable friendly equipment	Bus must be equipped with disable friendly equipments and comply norms as per govt. of India guidelines.
35	GPS/VTS	As per AIS 140 latest. Name of Vendor shall be provided by U.T.C.

संलग्नक-5

उत्तराखण्ड परिवहन निगम
बसों के अनुबन्धन हेतु निविदा प्रपत्र

फार्म संख्या.....

फार्म मूल्य रु. 1000.00

जीएसटी रु. 180.00

कूल रु. 1180.00

अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं मोहर

1-निविदा देने वाले (बस मालिक) का पूरा नाम व पता.....

मो0न0.....पैनकार्ड नं.....

2-निविदादाता की विधिक प्रस्थिति

2.1 (हैसियत) यथा व्यक्तिगत/पार्टनरशिप

फर्म/लिमिटेड कम्पनी आदि फर्म/कम्पनी की

ओर से निविदा दी जा रही है तो (पार्टनरशिप

डीड अथवा आर्टिकल और मेमोरण्डम आफ

एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) स्पष्ट करें।.....

2.2 क्या पूर्व में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में

अपनी बस अनुबन्ध पर चलायी है।

यदि हां तो बस सं. डिपो का नाम,

पूर्व में यदि उस पर कोई पेनाल्टी लगी हो तो

उसका पूर्ण विवरण।

3- अनुबन्धित की जाने वाली बस के सम्बन्ध में सूचना दें:-

3.1 प्रस्तावित बस का विवरण:-

अ-मॉडल

ब-मेक

स-सीटों की क्षमता

4- अर्नेस्टमनी (संलग्न) का विवरण बैंक ड्राफ्ट संख्या.....

बैंक ड्राफ्ट दिनांक:.....

रूपये.....

5- इनकम टैक्स क्लियरेन्स का विवरण (चालू वर्ष).....

6- क्षेत्र एवं मार्गों का विवरण

6.1- जिस क्षेत्र में बस लगाना चाहते हैं

6.2- वरीयता क्रम में मार्गों का विवरण व दरें(अधिकतम तीन मार्गों की वरीयता दें)

मार्ग वरीयता क्रम	मार्ग का नाम	दर प्रति कि०मी०
-------------------	--------------	-----------------

1-

2-

3-

4-

नोट:-उपर्युक्त वरीयता क्रम निगम पर बाध्य नहीं होगा। इन मार्गों पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मार्ग का आवंटन किया जायेगा। उपर्युक्त में जहां वांछित हो पूर्ण सूचना भरें।

मैं/हम शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर मेरे/हमारे द्वारा दिये गये विवरण सही व सत्य है।

हस्ताक्षर

बस मालिक/निविदादाता

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय

1-राजविहार,चकराता रोड,देहरादून।

दूरभाष सं.0135-2760478, 9897594771

विज्ञप्ति

निजी वाहन स्वामियों की बसों को अनुबन्ध आधार पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की स्थानीय एवं मध्यम दूरी की सेवाओं के स्थान पर संचालित करने की योजना जारी की गयी थी जिसकी अवधि 31-01-2019 तक नियत की गयी थी किन्तु नियत अवधि में निगम की आवश्यकतानुसार बसों के प्रस्ताव प्राप्त ना होने के कारण योजना की तिथि को **28फरवरी-2019 शायं 5:00** बजे तक के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अनुबन्धित बस योजना के अन्तर्गत यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपनी बसें अनुबन्ध आधार पर संचालित करने के इच्छुक है तो वह अनुबन्ध की शर्तों एवं मार्गवार रिक्तियों का अवलोकन वेबसाईट www.utc.uktenders.gov.in पर कर सकते है तथा वेबसाईट से टेण्डर डाउनलोड कर पूर्णतया भरकर टेण्डर फीस एवं सिक्योरिटी राशि के ड्राफ्ट सहित किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कर सकते है। टेण्डर फीस रु.1000.00प्रतिबस+18प्रतिशत जीएसटी एवं सिक्योरिटी राशि प्रति बस रु.50,000.00(पच्चास हजार रूपये)नियत है।

महाप्रबन्धक (संचालन)